संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की शताब्दी

स्रोत: द हिंदू

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने **1 अक्तूबर, 2025** को अपनी शताब्दी मनाई, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और इस प्रकार इसने 100 वर्ष पूरे किये। योग्यता आधारित प्रणाली को बनाए रखने के लिये **प्रसिद्ध UPSC** ने **भारत की सिविल सेवाओं के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** सिविल सेवाओं के नियमन हेतु एक स्थायी निकाय का विचार **वर्ष 1919 के संवैधानिक सुधारों (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)** में सामने आया। **भारत सरकार अधिनियम, 1919** ने एक लोक सेवा आयोग के गठन की अनुमति दी।
  - **ली आयोग (1924) की सिफारिशों** के बाद 1 अक्तूबर, 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और **सर रॉस बार्कर** इसके पहले अध्यक्ष बने।
  - **भारत सरकार अधिनियम, 1935** ने इसे **संघीय लोक सेवा आयोग** में बदल दिया। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के साथ **अनुच्छेद 378** के तहत संघीय लोक सेवा आयोग (FPSC) **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** बन गया।
- **UPSC:** यह भारत में एक **स्वतंत्र संवैधानिक निकाय** है जो **संविधान के अनुच्छेद 315-323 भाग XIV अध्याय II** के तहत स्थापित है, जो **अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती** के लिये ज़िम्मेदार है।
  - UPSC भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा नियमों के अनुसार **न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके** से भारत सरकार की विभिन्न ग्रुप A व ग्रुप B सेवाओं के लिये उम्मीदवारों का **योग्यता आधारित चयन** तथा सिफारिश करने के लिये विभिन्न परीक्षाएँ आयोजित करता है।

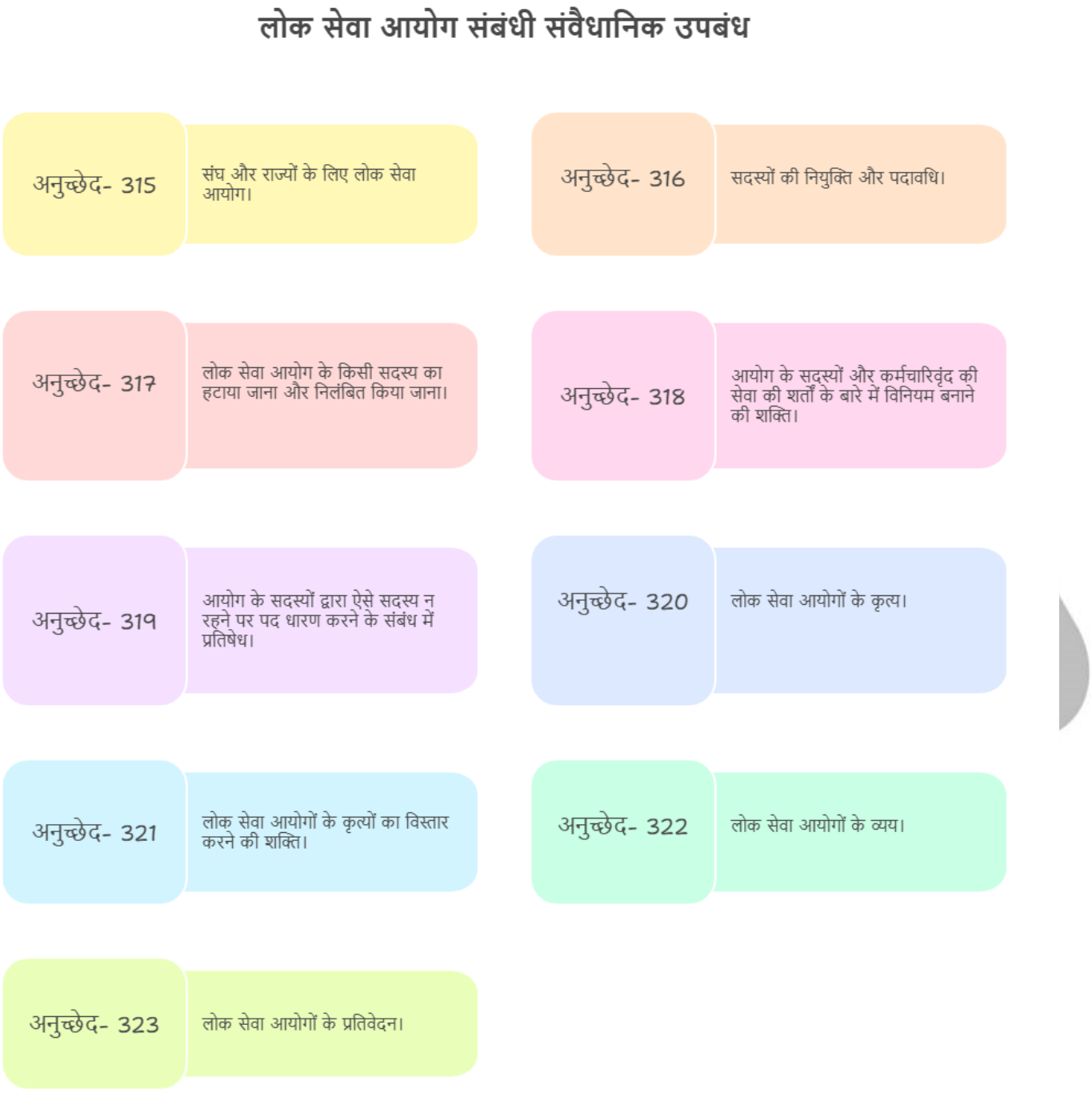

- **UPSC द्वारा सुधार:**
  - **प्रतिभा सेतु पहल:** यह सत्यापित बायोडेटा का एक **केंद्रीकृत ऑनलाइन संग्रह** है जो **UPSC परीक्षाओं के साक्षात्कार-योग्य उम्मीदवारों** को, जिनकी अंतिम चयन के लिये अनुशंसा नहीं की गई थी, वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों से जोड़ता है तथा उनकी जानकारी सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में इच्छुक नियोक्ताओं को उपलब्ध कराता है।

और पढ़ें: लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य

- लोक सेवाओं के समक्ष चुनौतियाँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centenary-of-union-public-service-commission-upsc